

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898.

In the Court of Smt. Roopali Ulkey, Judicial Magistrate First Class, Sausar, Dist. Chhindwar (M.P.)

Case No. 575/2022

Complaint or report made on ..16-09-2022.

Name and address of the complaint

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केंद्र लोधीखेडा

Name, parentage, caste and address of accused

अभियुक्त - बारकोराव पिता बाजीराव उइके उम्र 55 साल निवासी बोरगांव थाना लोधीखेडा जिला छिन्दवाडा ।

The office complained of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 16-09-2022 को समय लगभग 18-30 बजे आरक्षी केंद्र थाना लोधीखेडा अंतर्गत गौडी मोहल्ला बोरगांव थाना लोधीखेडा जिला छिन्दवाडा में एक प्लास्टिक की कुप्पी में करीब 07 लीटर कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से आधिपत्य में रखा या उसका परिवहन, आयात या निर्यात किया?

इस प्रकार अभियुक्त आपने धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, के अधीन दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान में है, क्या आपको अपराध स्वीकार है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहते हैं ?

(श्रीमती रुपाली उइके)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साँसर, जि.छिंदवाडा

The plea of the accused and his examination (if any)-

अभियुक्त को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सनाये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि:-

मुझे शराब है
बारकोराव

(श्रीमती रुपाली उइके)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
साँसर, जि.छिंदवाडा

The office proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), clause(f) or clause (g), or subsection (i) of Section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed

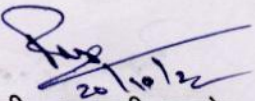
//निर्णय//

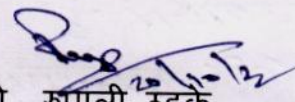
(आज दिनांक 20-10-2022 को घोषित)

- 11) अभियुक्त के विरुद्ध म०प्र० आबकारी अधि० की धारा 34(1)(क) के अधीन दंडनीय पृष्ठांकित विशिष्टियों के अपराध का आरोप है ।
- 12) अभियुक्त को उसके द्वारा की गई स्पष्ट स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, के अंतर्गत दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है ।
- 13) अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धी का कोई प्रमाण प्रकरण में संलग्न नहीं है, परंतु उसके द्वारा कारित अपराध का संबंध मानव स्वास्थ्य और राज्य के आर्थिक हितों से है । अतः उसे अपराधी परीक्षा अधि० के उपबंधों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता ।
- 14) अभियुक्त को म०प्र० आबकारी अधि० की धारा 34(1)(क) के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में 700_- /रु० कुल शब्दों में- सात सौ रुपए के अर्थदंड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया जाता है । अर्थदंड के भुगतान के व्यतिक्रम में उसे 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाए ।
- 15) प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 07 लीटर कच्ची महुआ शराब मुल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित
हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
पारित किया गया ।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया


श्रीमती रुपाली उड़के
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सोंसर जिला छिंदवाड़ा


श्रीमती रुपाली उड़के
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सोंसर जिला छिंदवाड़ा